राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 708/2011/उदयपुर.

मैसर्स डालीचन्द डांगी, कॉन्ट्रेक्टर, उदयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री श्याम बोकाड़िया, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 27/5/2014

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 100/वैट/2009–10 में पारित किये गये आदेश दिनांक 29.12.2010 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से अपीलार्थी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के अधिनियम की धारा 24, 55 व 58 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 18.3.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील को अस्वीकार किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी के कर निर्धारण वर्ष 2006–07 के कर निर्धारण में कर निर्धारण अधिकारी ने माल के सप्लाई भाग के अलावा कार्य संविदा प्राप्तियां रूपये 15,56,478/– में क्रमशः 4 प्रतिशत व 12.5 प्रतिशत से कर योग्य माल रूपये 52,506/– व 5,75,983/– प्रयुक्त होना तथा अपंजीकृत व्यवहारियों से खरीद रूपये 1.50 लाख 4 प्रतिशत व 1.00 लाख मानकर अतिरिक्त करारोपण रूपये 92,598/– किया है, जिनमें अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 3(2) के तहत पंजीकृत व्यवहारियों से खरीद रूपये 3,88,865/– को अस्वीकार किया और धारा 58 के तहत रूपये 500/– शास्ति भी आरोपित की गई थी। अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील को अपीलीय अधिकारी ने अस्वीकार किये जाने के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

लगातार.....2

जहां तक अधिनियम की धारा 58 के तहत विवरण पत्र देरी/या नहीं प्रस्तुत करने का प्रश्न है, शास्ति आरोपण से पूर्व अपीलार्थी को विवरण पत्र देरी से प्रस्तुत करने का कारण पूछा जाना आवश्यक है। कर बोर्ड का यह निरन्तर मत रहा है कि धारा 58 के तहत शास्ति बिना सुनवाई नोटिस आरोपित नहीं की जा सकती। अतः इस बिन्दु पर अपील स्वीकार की जाती है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
27/5/14